

पंचा डिक्री

साहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

प०न०:- 463/2026

सन्तोष गोदारा पत्नी मनोज गोदारा जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

भूपसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

मनीष सहारण पुत्र भूपसिंह सहारण जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अदित गोदारा पुत्र राजीव गोदारा } जाति जाट निवासीयान सालीवाला हाल  
अर्जुन गोदारा पुत्र राजीव गोदारा } आबाद संगरिया तहसील संगरिया जिला  
वंदना गोदारा पत्नी राजीव गोदारा } हनुमानगढ़।

तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 26/11/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश कुमार गौड व प्रतिवादी वकील हरविन्द्र सिंह गिल अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:-क. वादीया सं० 1 सन्तोष गोदारा पत्नी मनोज गोदारा को प्राप्त आराजी: - चकनं० 8 एम. के. एस. के खाता सं० 93/106 के प०न० 192/219 मु० 35 किलानं० 12 ता 14/.759, 15/1, 15/2,

ख. कि वादी सं० 2 भूपसिंह को प्राप्त आराजी :-चकनं० 10 एम. के. एस. ए के खाता सं० 149/147 में प०न० 192 / 226 मु० 47 किलानं० 16, 24/1, 24 /2, 25/1, 25/2. चकनं० 8 एम.के.एस खाता सं० 109/96 के प०न० 193/225 मुं० 83 किलानं० 18, 19, 22 ता 25, प०न० 193/226 मु० 87 किलानं० 2 ता 14, 19,20, चकनं० 7 एम. के. एस के प०न० 195/227 मु० 14 किलानं० 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 ता 24, 25 /.215, प०न० 195/228 मु० 19 किला नं० 1,2,3, प०न० 193/227 मु० 16 किलानं० 19/253, प०न० 196/227 मु० 13 किलानं० 21 / 253, प०न० 192/227 मु० 12 किलानं० 8 / 253


1 एम. के. एस.

ग. प्रतिवादी सं० 1 मनीष को 10.015 है०, प्रतिवादी सं० 2 अदित गोदारा, प्रतिवादी सं० 3 अर्जुन गोदारा, प्रतिवादीया सं० 4 वंदना गोदारा को 0.105 है० ब०हि०ब० प्राप्त आराजी -चकनं० 7 एम के एस प०न० 194/227 मु० 15 किलानं० 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16 /2, 17 ता 20, 21 ता 24, 25/1, 2522, प०न०



194/228 मु० 18 किलानं० 1,2,3,4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, प० न० 193/ 227 मु० 16 किलानं० 6,12,13,14, 15, 16, 17, 18, 21 ता 25 कुल 10.120 है० नहरी मय गै० मु० इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं० 10 एम. के. एस ए के खाता सं० 149/147 व चकनं० 8 एम.के. एस के खाता सं० 109/96, चकनं० 7 एम. के. एस के खाता सं० 55/32 में से मनीष सहारण का नाम कलमजन, चक नं० 8 एम. के. एस के खाता सं० 93/106 में से भूपसिंह का नाम कलमजन, चकनं० 7 एम. के. एस के खाता सं० 64/62 में से सन्तोष गोदारा का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै० मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यजीव शर्मा एच  
उपनिर्देशक R.A.S)  
सहायक अधिकारी (राजस्व)  
एच सहायक कलक्टर टिब्बी।